महत्वपूर्ण

संख्या-05/2020/336/86-2020-51(सा0)/2019

प्रेषक,

डा0 रोशन जैकब,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म,
उ0प्र0 लखनऊ।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग। लखनऊ दिनांकः 24 फरवरी, 2020

विषयः- प्रदेश में अन्य राज्यों से आने वाले उपखनिजों के वाहनों पर विनियमन शुल्क अधिरोपित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि खनिजों के अवैध परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण शासन की शीर्ष प्राथमिकता है, जिस हेतु प्रदेश में खनिज वाहनों की जॉच को प्रभावी बनाये जाने की आवश्यकता है। प्रदेश में अन्य राज्यों से भी काफी संख्या में खनिज लदे वाहन आते हैं, जिनके जॉच हेतु सीमावर्ती विभिन्न स्थानों पर आर्टिफिसियल इन्टेलीजेन्स युक्त चेक गेट्स, जिस पर वे ब्रिज, कैमरा आदि की सुविधा होगी, लगाये जाने का निर्णय लिया गया है। उपखनिजों के परिवहन को विनियमित करने के उद्देश्य से ऐसे चेक गेट्स की स्थापना प्रदेश के अन्य प्रमुख मार्गों पर भी किया जाना है।

2. अतः अन्य राज्यों से आने वाले उपखनिजों के वाहनों की सुगमतापूर्वक जॉच किये जाने आदि के उद्देश्य से स्थापित किये जा रहे चेक गेट्स की अवस्थापना/अनुरक्षण में होने वाले व्यय के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 (यथासंशोधित) के नियम-21(4) तथा नियम-70(2) के प्राविधान के अन्तर्गत उपखनिज ईमारती पत्थर, गिट्टी, बोल्डर, बालू, मौरम के वाहनों पर रू0 50 प्रतिघन मी0 की दर से विनियमन शुल्क अवधारित करते हुये उसे अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3. अन्य राज्यों से आने वाले प्रश्नगत उपखनिजों के वाहनों पर उक्तानुसार अवधारित विनियमन शुल्क अधिरोपण की प्रक्रिया निम्नवत् निर्धारित की गयी है:-

i अन्य राज्य के उपरोक्त उपखनिज लेकर आने वाले वाहन के स्वामी द्वारा भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 के विभागीय पोर्टल www.upmines.upsdc.gov.in पर इन्टर स्टेट ट्रान्जिट पास लागिन पर जाकर पंजीयन करना होगा। पंजीयन मूल सूचनाओं यथा-नाम, पिता का नाम, निवास का पता, मोबाइल नं0, ईमेल आई0डी0 के आधार पर किया जायेगा।

ii उक्त सूचनाओं को पूर्ण करने के उपरान्त वाहन स्वामी के रजिस्टर्ड ई-मेल आई0डी0 तथा मोबाइल नं0 पर उसको लागिन आई0डी0 व पासवर्ड उपलब्ध हो जायेगा।

iii लागिन आई0डी0 व पासवर्ड के आधार पर परिवहनकर्ता ई-पेमेन्ट के माध्यम से भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 के निर्धारित लेखा शीर्षक (0853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग, 800-अन्य प्राप्तियां और 01-अन्य प्राप्तियां) में एक मुश्त विनियमन शुल्क की धनराशि को जमा कर सकेगा। प्रत्येक परिवहन के अवसर पर अभिवहन पास से सम्बन्धित विवरणों, जैसे-अन्य प्रदेशों के अभिवहन प्रपत्र का क्रमांक व दिनांक, प्रदेश व जनपद जो लागिन पर प्रदर्शित होगा, को अंकित किये जाने के उपरान्त परिवहन किये जाने वाली मात्रा के अनुसार उक्त

http://shasanadesh.up.nic.in

जमा एकमुश्त धनराशि में से विनियमन शुल्क की कटौती होने के साथ अन्तर्राज्यीय अभिवहन पास (ISTP) जनित होगा।

iv अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश में आने वाले उपखनिज यथा-ईमारती पत्थर, गिट्टी, बोल्डर, बालू, मोरम के वाहनों पर उस राज्य के वैध अभिवहन प्रपत्र के साथ-साथ उत्तर प्रदेश की अन्तर्राज्यीय अभिवहन पास (ISTP) की प्रति संलग्न होने पर ही सम्बन्धित उपखनिज का परिवहन विधिमान्य होगा।

4. अतः अन्य राज्यों से आने वाले उपखनिजों यथा-ईमारती पत्थर, गिट्टी, बोल्डर, बालू, मौरम के वाहनों पर उक्तानुसार अवधारित विनियमन शुल्क (Regulating Fees) का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अधिरोपण कर अपेक्षित वसूली किये जाने के सम्बन्ध में कृपया आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(डा0 रोशन जैकब)
सचिव।

संख्या- (1)86-2020-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग (निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0, लखनऊ के माध्यम से)।
6. खान अधिकारी/खान निरीक्षक, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश (निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0, लखनऊ के माध्यम से)।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हृदय नारायण सिंह यादव)
अनुसचिव।

http//shasanadesh.up.nic.in